



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16072026-274570
CG-DL-E-16072026-274570

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3762]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 16, 2026/आषाढ 25, 1948

No. 3762]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 16, 2026/ASHADHA 25, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2026

(आयकर)

का.आ. 3926(अ).— जबकि, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य और श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की सरकार के बीच करार में संशोधन करने वाले एक प्रोटोकॉल पर दिनांक 16 दिसंबर, 2024 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए, जैसा कि इस अधिसूचना के अनुबंध(एतश्मिन् पश्चात् प्रोटोकॉल के रूप में संदर्भित) में दर्शाया गया है।

और जबकि, उक्त प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 2 में दिए गए प्रावधान के अनुसार यह उक्त संविदाकारी राज्यों द्वारा उनके अपने-अपने कानूनों की दृष्टि से यथा आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा किए जाने की अधिसूचनाओं के जारी होने की तारीख से 30 वें दिन से लागू होगा;

और जबकि, उक्त प्रोटोकॉल 19 जून, 2026 को लागू हुआ, क्योंकि यह उक्त प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 2 के अनुसार, उक्त प्रोटोकॉल के लागू होने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने की अधिसूचनाओं के जारी होने की तारीख से बाद का निर्धारित दिवस था।

और जबकि, उक्त प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 3 में यह प्रावधान है कि उक्त प्रोटोकॉल के प्रावधान भारत में उस कैलेंडर वर्ष, जिसमें इस करार को लागू किया गया हो, के तत्काल बाद आने वाले अप्रैल के पहले दिन या उसके बाद प्रारम्भ होने वाले किसी राजकोषीय वर्ष में उद्भूत आय के संबंध में लागू होंगे।

अब, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 159 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा, अधिसूचित करती है कि उक्त प्रोटोकॉल के सभी प्रावधान, जैसा कि यहां संलग्न है, भारत संघ में प्रभावी होंगे।

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए

भारत गणराज्य की सरकार

और

श्री लंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की सरकार

के बीच करार में संशोधन प्रोटोकॉल

भारत गणराज्य की सरकार और श्री लंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की सरकार,

दिनांक 22 जनवरी, 2013 को भारत में हस्ताक्षरित, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और श्री लंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की सरकार के बीच करार (जिसे इसके बाद कहा गया है "करार") में संशोधन करने के लिए प्रोटोकॉल का समापन करने की इच्छा से,

इस प्रकार सहमत हुई हैं:

अनुच्छेद 1

इस करार की प्रस्तावना को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"भारत गणराज्य की सरकार और श्री लंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की सरकार, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए तथा दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक करार निष्पन्न करने की इच्छा से :

कर अपवंचन अथवा परिहार के द्वारा गैर-कराधान अथवा कम कराधान हेतु अवसर उत्पन्न किए बिना इस करार में शामिल करों के सम्बंध में दोहरे कराधान को समाप्त करने के इरादे से (तीसरे राज्यों के निवासियों को अप्रत्यक्ष लाभ हेतु इस करार में प्रदत्त छूटों को प्राप्त करने के उद्देश्य से संधि-खरीदारी की व्यवस्था के माध्यम सहित);

इस प्रकार सहमत हुई हैं:"

अनुच्छेद 2

करार के अनुच्छेद 28 के मौजूदा पैराग्राफ 6 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“6. इस करार के अन्य उपबंधों के बावजूद, इस करार के अंतर्गत आय के किसी मद के संबंध में कोई लाभ नहीं दिया जाएगा यदि सभी संगत तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह मानना समुचित हो कि इस प्रकार का लाभ हासिल करना ही किसी समझौते अथवा संव्यवहार के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ही था जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः वह लाभ प्राप्त हुआ है, जब तक कि यह सिद्ध नहीं होता हो कि इन परिस्थितियों में उस लाभ का प्रदान किया जाना इस करार के संगत उपबंधों के लक्ष्य तथा उद्देश्यों के अनुसार होगा।”

अनुच्छेद 3

1. संविदाकारी राज्य इस प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए अपने-अपने कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे।
2. यह प्रोटोकॉल इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद वाली अधिसूचना की तारीख के तीसवें दिन लागू होगा।
3. इस प्रोटोकॉल के लागू होने के बाद इसके प्रावधानों का निम्नलिखित प्रभाव होगा:

(क) भारत में:

जिस कैलेंडर वर्ष में यह करार लागू होता है उसके अनुवर्ती कैलेंडर वर्ष के अप्रैल माह की पहली तारीख को अथवा इसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त की गई आय के संबंध में; और

(ख) श्री लंका में:

जिस कराधेय वर्ष में यह करार लागू होता है उसके अनुवर्ती कैलेंडर वर्ष के अप्रैल माह की पहली तारीख को अथवा इसके बाद आरम्भ होने वाले किसी कर योग्य वर्ष में प्राप्त की गई आय के संबंध में।

4. यह प्रोटोकॉल तक प्रभावी रहेगा जब तक करार के लागू रहता है।

जिसके साक्ष्य में अपनी संबंधित सरकारों द्वारा इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत होकर, अधोहस्ताक्षरी ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए।

नई दिल्ली में वर्ष 2024 के दिसम्बर माह के 16वें दिन हिन्दी, सिंहल और अंग्रेजी में दो मूल प्रतियों में निष्पादित किया गया, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक। पाठों में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की सरकार के लिए

श्री लंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की सरकार के लिए

[सं. 88 /2026/फा.सं . 503/8/2005-एफटीडी-II]

भास्कर गोस्वामी, संयुक्त सचिव